बिहार सरकार
उद्योग निदेशालय

पत्रांक 96 /आवंटन/ पटना, दिनांक 16.1.18

सं0 सं0–05 / उ0 नि0 ब0 (आवंटन) 21 / 2017

प्रेषक,

पंकज कुमार सिंह,
उद्योग निदेशक, बिहार।

सेवा में,

सहायक उद्योग निदेशक (लेखा),
उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना।

विषय :– **मुख्य शीर्ष–2851–ग्राम तथा लघु उद्योग, उपमुख्य शीर्ष–00, लघुशीर्ष–103– हथकरघा उद्योग, मांग संख्या–23, उपशीर्ष–0113–शिल्प अनुसंधान संस्थान की योजना का सुदृढ़ीकरण, विपत्र कोड 23-2851001030113 के अन्तर्गत विषय शीर्ष 0113.31.06–सहायक अनुदान गैर वेतन मद से वित्तीय वर्ष 2017–18 में उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना के सुदृढ़ीकरण योजनान्तर्गत कुल रू0 35,00,000/- (पैंतीस लाख रूपये) मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति के आलोक में राशि का आवंटन।**

महाशय,

उक्त बजट शीर्ष के अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में विषय शीर्ष 0113.31.06–सहायक अनुदान गैर वेतन मद से वित्तीय वर्ष 2017–18 में उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना के सुदृढ़ीकरण योजनान्तर्गत कुल रू0 **35,00,000/- (पैंतीस लाख रूपये)** मात्र का आवंटन स्वीकृत किया जाता है।

2 इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में आय–व्ययक मुख्य शीर्ष–2851–ग्राम तथा लघु उद्योग, उपमुख्य शीर्ष–00, लघुशीर्ष–103– हथकरघा उद्योग, मांग संख्या–23, उपशीर्ष–0113–शिल्प अनुसंधान संस्थान की योजना का सुदृढ़ीकरण, विपत्र कोड 23-2851001030113 के अन्तर्गत विषय शीर्ष 0113.31.06–सहायक अनुदान गैर वेतन मद के अन्तर्गत विभागीय पुनर्विनियोग स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक 4876, दिनांक 16.11.2017 द्वारा उपबंधित राशि से विकलित होगा।

3 यह आवंटन वित्तीय वर्ष 2017–18 के विभागीय ज्ञापांक 195, दिनांक 11.01.2018 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। इसके सभी निर्देशों का पालन किया जाय।

4 राशि की निकासी वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561 वि0(2) दिनांक 17 अप्रैल, 1998 के आलोक में ही की जाय तथा उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5 राशि की निकासी करते समय निम्नांकित बिन्दुओं का विशेष ध्यान रखा जाय :–

(क) योजना की स्वीकृति के आधार पर तथा वित्त विभाग के उक्त परिपत्र में निर्धारित अधिसीमा तक ही व्यय किया जाय।

(ख) एक इकाई की राशि दूसरी इकाई में व्यय नहीं की जाय।

(ग) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्त नियमावली के भाग–1 के नियम 475 का अनुपालन दृढ़तापूर्वक करें, ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में प्रावधानित राशि से अधिक व्यय नहीं होने पाए।

(घ) व्यय प्रतिवेदन व्यय के तुरंत बाद टी0 भी0 नं0 / बिल नं0 एवं मासिक CTMIS प्रतिवेदन के साथ अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें।

(च) 2017–18 का प्रत्यर्पण प्रतिवेदन 15 मार्च 2018 तक अवश्य भेज दें।

6 राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जाएगी।

विश्वासभाजन

16/1/18

उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।

कृ0 पृ0 उ0

ज्ञापांक 96/3470/ पटना, दिनांक 16.1.18

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Sd/- 16/1/18

उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 96/3479 पटना, दिनांक 16.1.18

प्रतिलिपि :– योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/महालेखाकार, बिहार, पटना/श्री सुरेश कुमार, उप उद्योग निदेशक (योजना), उद्योग विभाग, बिहार, पटना/ए0सी0डी0सी0–यू0सी0 कोषांग, उद्योग विभाग/निदेशक, उ0म0शि0अनु0सं0, पटना/उप उद्योग निदेशक(योजना), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/प्रशाखा–05, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना एवं आई0 टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Sd/- 16/1/18

उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।